

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ० मुरलीधर पालीवाल बनाम लो.सू.अ. (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सरदारपुरा विधान सभा) सू.अ.अ. अपील संख्या 131 / 2019	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	---

19.08.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ० मुरलीधर पालीवाल, पता प्लॉट नं. 243, शिवमंदिर रातानाडा, जाटो के नोहरे के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.06.19 में उसके द्वारा (1) वोटर्स लिस्ट (सरदारपुरा 184 विधान सभा क्षेत्र) मतदाता नर्बदा / मुरलीधर (स्त्री) कानाम कब काटा गया व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सरदारपुरा विधानसभा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सरदारपुरा विधान सभा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सरदारपुरा विधान सभा) से जरिये पत्रांक 4381 दिनांक 19.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 1995 की मतदाता सूची में स्थानान्तरण से नाम विलोपित पाया गया, की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। रिपोर्ट के साथ दी गई सूचना पर प्रार्थी की प्राप्ति रसीद की प्रति भी सलंगन की।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है तथा सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर भी किये हुए हैं अतः प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	
----------	---	--

